10/1/2020

पत्रावली पेश हुई वकुलाए फरिकैन उप०।
प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण आदेश 9 नियम 13 जाप्ता
दीवानी स्वीकार किया जाता है व मूल पत्रावली
पु०: पुनर्वाद में लिए जाने का आदेश दिया
जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से टंकित
करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया। हालगत पत्रावली निर्णय शुमार
होकर नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली
के साथ नत्थीबद्ध की जावे

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 130/ 2012 दायर तारीख :– 24.09.2012

1. केसरमल पुत्र पीताराम जाति कुम्हार नि0 बाग की ढाणी अडावणियों का मौहल्ला कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
2. छीतरमल पुत्र पीताराम–फौत के बजाय कायम मुकामानः–
   2/1 बरजीदेवी पत्नि छीतरमल
   2/2 हजारीलाल पुत्र छीतरमल
   2/3 मन्नीदेवी पुत्री छीतरमल
   2/4 सुप्यारदेवी पुत्री छीतरमल
   2/5 लक्ष्मीदेवी पुत्री छीतरमल
   समस्त जाति कुम्हार नि0 बाग की ढाणी अडावणियों का मौहल्ला कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2

बनाम

1. हेमाराम पुत्र स्व0 पीताराम
2. पन्नालाल पुत्र स्व0 पीताराम
   समस्त जाति कुम्हार नि0 बाग की ढाणी अडावणियों का मौहल्ला कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण/वादीगण

1. तेजपाल पुत्र पीताराम जाति कुम्हार नि0 बाग की ढाणी अडावणियों का मौहल्ला कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
2. देवाराम पुत्र पीताराम–फौत के बजाय कायम मुकामान
   2/1 गुलाबीदेवी पत्नि देवाराम
   2/2 जगदीश पुत्र देवाराम
   2/3 खेमचन्द पुत्र देवाराम
   2/4 आनन्दीलाल पुत्र देवाराम
   2/5 ओमप्रकाश पुत्र देवाराम
   2/6 भंवरीदेवी पुत्री देवाराम
   समस्त जाति कुम्हार नि0 बाग की ढाणी अडावणियों का मौहल्ला कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
3. भगवानसहाय पुत्र पीताराम जाति कुम्हार नि0 बाग की ढाणी अडावणियों का मौहल्ला कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
4. गंगाराम पुत्र दौलाराम
5. मोहनलाल पुत्र दौलाराम
6. मोतीराम पुत्र दौलाराम
7. पूणमल पुत्र दौलाराम
8. छोटूराम पुत्र दौलाराम
9. तुलसीराम पुत्र दौलाराम
10. रामचन्द्र पुत्र दौलाराम
    समस्त जाति कुम्हार नि0 बाग की ढाणी कि0रेनवाल,जिला जयपुर राज0
11. तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 3 लगा0 13

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व 151 जा0दी0

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2
श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण सं0 1 लगा0 2

निर्णय

निर्णय दिनांक 10.01.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी/वादीगण सं0 1 व 2 ने कुतई गलत तथ्यों के आधार पर वाद सं0 150/09 उनवानी हेमाराम बनाम केसरमल

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

वगै0 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर वादीगण ने प्रतिवादी सं0 4 लगा0 12 से साजकर प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बिना कोई सूचना व नोटिस के प्रार्थीगण की फर्जी तौर पर गलत रूप से तामिल होना जाहिर कर वाद में प्रार्थीगण की एकतरफा कार्यवाही करवायी जाकर वादीगण ने कतई गलत आधार पर एकपक्षीय डिक्री माननीय न्यायालय से प्राप्त कर ली। प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पास उक्त प्रकरण के कोई नोटिस व सम्मन नहीं गये न ही तामिल कुलिन्दा प्रार्थीगण को तामिल कराने उनके घर पर गया बल्कि अप्रार्थी/वादीगण से साजकर कोर्ट सम्मनों पर प्रार्थीगण के नोटिस नहीं लेने की रिपोर्ट कर माननीय न्यायालय में कतई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 10.03.10 को एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर वाद को दिनांक 15.09.11 को अन्तिम डिक्री करवा लिया जबकि प्रार्थीगण को उक्त वाद की कोई जानकारी नहीं हुई न ही प्रार्थीगण की प्रोपर तामिल ही हो पायी थी। प्रार्थीगण को उक्त वाद की कभी कोई जानकारी पूर्व में नहीं रही है जब प्रार्थीगण पटवारी हल्का से अपनी उपरोक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तो उक्त प्रकरण में वाद डिक्री किये जाने की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.09.12 को प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। उक्त प्रकरण की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की जानकारी हुई की दिनांक 15.09.11 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है तथा उक्त प्रकरण में जो सम्मन नोटिस पर लेने से इंकार की रिपोर्ट करवायी गयी है वह भी वादीगण/अप्रार्थीगण ने तामिल कुलिन्दा से मिलकर व अपने हितप्रद व्यक्तियों को गवाह बनाते हुये रिपोर्ट तामिल कुलिन्दा की नोटिस लेने से इंकार की दर्ज करवायी है तथा उक्त प्रकरण में गवाह भी उक्त हितप्रद व्यक्ति है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की सम्यक रूप से किसी प्रकार की कोई तामिल नहीं हुई थी तथा ना ही उक्त प्रकरण की जानकारी के लिए प्रार्थीगण को कोई तामिल कुलिन्दा नोटिस लेकर प्रार्थीगण के घर नहीं गया। समस्त कार्यवाही वादीगण ने तामिल कुलिन्दा से मिलकर गलत व झूठी रिपोर्ट सम्मनों पर इंकार की गई है जिसके कारण प्रार्थीगण अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं कर पाये ओर प्रार्थीगण की गलत व झूठी तामिल नोटिसों पर इंकारी की बतायी जाकर एकपक्षीय डिक्री वादीगण ने न्यायालय से पारित करवायी ह जो प्रार्थीगण के हितों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थीगण को सुना जाना न्यायहित में है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रा0पत्र आर्डर 9 रूल 13 जा0दी व दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि उक्त प्रकरण का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.11 को किया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 को पूर्ण रूप से थी तथा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.09.11 के बाद अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम मुताबिक निर्णय खातेदारी भी खुल चुकी है जिसकी भी जानकारी प्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को पूर्ण रूप से थी परन्तु उक्त प्रा0पत्र प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने गलत तथ्य अंकित करते हुये अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने व उसके कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी से बेदखल करने की नियत से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रा0पत्र मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है।

3. वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2005(1) पेज सं0 394, आर0आर0टी0 2012(2) पेज सं0 1381, आर0आर0टी0 2009–10 पेज सं0 351 पेश की है।

4. वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद सं0 150/09 उनवानी हेमाराम बनाम केसरमल पेश किया था। नोटिस प्रथम तारीख पर पेश किये गए। नोटिस इंकारी पर दो गवाहान के हस्ताक्षर भी नहीं है। केवल दो गवाहान का नाम, गवाहान का पता भी नहीं है। प्रा0पत्र आर्डर 9 रूल 13 की सुनवाई में केवल यह देखना है कि क्या तामिल प्रोपर हुयी है ओर तामिल प्रोपर हुयी है तो सुनवाई का अवसर दिया गया है। मैं तत्समय रिकोर्डेड खातेदार था, जिसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने की प्रकिया भी नहीं अपनाई, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त होने पर मुझे जानकारी

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

हुई। मुझे जवाब व सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया इसलिए उक्त डिक्री को अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई की जावे।

5. वकील अप्रार्थीगण/वादी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि केसरमल व छीतरमल दोनों पर तामिल हुई है, उक्त दोनों तामिल के बावजूद हाजिर नहीं हुए, दोनों को उक्त प्रकरण की जानकारी थी। उक्त डिक्री दिनांक 15.09.11 व नामान्तकरण व मौका कब्जा सभी मेरे पक्ष में है। उक्त डिक्री सन् 2011 में पारित की गयी थी। प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उक्त प्रा0पत्र मियाद बाहर पेश किया है। एक ही गांव में ऐसे मुकदमों की जानकारी होना सामान्य बात होती है। खाता विभाजन होकर मैं मौके पर काबिज काश्त हूँ। केसरमल व छीतरमल उक्त प्रा0पत्र पेश करने की बजाय अपील में जा सकते है इसलिए प्रार्थीगण का प्रा0पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 4 लगा0 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मेरा उक्त प्रकरण में कोई विवाधक नहीं है मुझे उक्त प्रकरण स्वीकार होने या न होने पर कोई आपति नहीं है मेरा कोई हिस्सा प्रभावित नहीं हुआ है।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र की पत्रावली व संलग्न मूल पत्रावली हेमाराम बनाम केसरमल वाद सं0 150/09 का अवलोकन किया। मूल पत्रावली में सम्मन केसरमल पुत्र पीताराम कुम्हार नि0 अडावणियों का मो0 बाग की ढाणी रेनवाल तह0 फुलेरा संलग्न है जिसको नम्बर 1059 दिनांक 21.12.09 द्वारा वास्ते तामिल भेजा गया, सम्मन की दूसरी प्रति की पुश्त पर अंकित है "श्रीमान् केसरमल घर पर मौजूद मिला जिसने नोटिस लेने व मकान पर चस्पा करने से मना किया मूल ही श्रीमान् की सेवामें में पेश है", पुश्त पर दो व्यक्तियो ताराचन्द्र पुत्र मोतीराम उम्र 53, गणेश पुत्र चौथूराम उम्र 65, के नाम अंकित है। छीतरमल पुत्र पीताराम कुम्हार नि0 अडावणियों का मो0 बाग की ढाणी कि0रेनवाल का सम्मन संलग्न है जिसकी दूसरी प्रति की पुश्त पर अंकित है "श्रीमान्जी छीतरमल घर पर मौजूद मिला नोटिस लेने व मकान पर चस्पा करने से मना किया। अतः मूल ही श्रीमान् की सेवामें में पेश है" पुश्त पर दो व्यक्तियो ताराचन्द्र पुत्र मोतीराम उम्र 53, गणेश पुत्र चौथूराम उम्र 65 के नाम अंकित है।

मूल वाद घोषणात्मक वाद है जिसमें पक्षकारान के हक हिस्सा तय किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया मूल वाद दिनांक 21.12.09 को प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को दिनांक 21.12.09 को सम्मन जारी किए गए। उपरोक्त पृष्टांकन के साथ अदम तामिल प्राप्त होने पर दिनांक 10.03.10 की आदेशिका द्वारा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

मूल वाद दिनांक 15.09.11 को अन्तिम डिक्री किया गया। दिनांक 24.09.12 को प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दफा 5 मियाद अधिनियम में प्रार्थीगण ने डिक्री की जानकारी देरी से होने का कथन किया। तामिल हुए बिना प्रार्थीगण को किसी वाद की जानकारी होना संम्भव नहीं है तो डिक्री की जानकारी कैसे होगी। मियाद का बिन्दू तकनीकी बिन्दू है जिस पर न्यायालय को उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए, यदि प्रार्थी ने न्यायालय तक पहुचनें में जानबूझकर देरी नहीं की हो तो, न्यायालय को प्रार्थी को उसका पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत है अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थीगण/मूल प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामिल प्रोपर तरीक से हुई यह सुनिशिचित करने हेतु न्यायालय को तामिल कुनिंदा का परीक्षण किया जाना चाहिए था मगर उस तरीकें/बिन्दू की पालना न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थीगण/मूल प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामिल प्रोपर तरीके से हुई या नहीं हुई।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायनिर्णयन रिविजन नं0 178/Hanumangarh of 2001 आर0आर0टी0 2005(1) पेज सं0 394 के पेरा सं0 10 व पेरा सं0 11 में अंकित किया है

पेरा सं0 10 " उक्त रिपोर्ट पर तामिल कुनिंदा ने सक्षिप्त में हस्ताक्षर किये हुए है। तामिल की दिनांक भी अंकित नहीं की है। तामिल के उपर दो अगूंठा निशानी लगाये हुए है जिनमें एक पर अगूंठा निशानी धनराम व दूसरे पर अगूंठा निशानी ओम लिखा

सहायक कलक्टर
सीपर लेक

Scanned by CamScanner

हुआ है परन्तु इन दोनों गवाहों की वल्दियत व पता, निवास स्थान आदि का कोई विवरण अंकित नहीं है। आदेश 5 नियम 17 सी0पी0सी0 के प्रावधान अनुसार यदि प्रतिवादी नोटिस लेने से मना करता है तो नोटिस उसके आबाद मकान पर चस्पा किया जा सकेगा तथा तामिल कुनिंदा चस्पादगी से तामिल पर तामिल की दिनांक व जिन व्यक्तियों के सामने नोटिस चस्पा किया है उनके हस्ताक्षर कराकर नाम व पूर्ण पता अंकित करेगा। इस प्रकरण में नोटिस पर गवाहों का कोई विवरण नहीं है। आदेश 5 नियम 19 सी0पी0सी0 के प्रावधान अनुसार जब नोटिस आदेश 17 के अन्तर्गत वापस आते है ओर यदि तामिल कुनिंदा की हलफिया रिपोर्ट नहीं है या अगर हलफिया रिपोर्ट है भी तो पीठासीन अधिकार तामिल कुनिंदा का शपथपूर्वक करेगा तथा यह विनिश्चय करेगा कि नोटिस की तामिल हुई है अथवा नहीं। प्रार्थी के नोटिस पर ना तो तामिल कुनिंदा के हलफिया बयान है ओर ना ही पीठासीन अधिकारी ने तामिल कुनिंदा का परीक्षण किया है फिर भी विचारण न्यायालय ने नोटिस की तामिल उचित मान ली है। आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 के प्रावधान अनुसार चस्पादंगी द्वारा तामिल न्यायालय से ही करवायी जा सकती है। परन्तु इस प्रकरण में न्यायालय का ऐसा कोई आदेश भी नहीं है। हमारा मानना है कि यदि तामिल कुनिंदा द्वारा नोटिस की चस्पांदगी द्वारा तामील न्यायालय के आदेश के बिना करा भी दी गई है तो उसके लिये जो नोटिस तामिल कराने की न्यूनतम आवश्यकताएं है वह तो पूरी होनी चाहिये। इस प्रकरण में तामिल कुनिंदा ने नोटिस चस्पादगी द्वारा कब तामिल कराया कोई दिनांक अंकितनहीं है। दोनों गवाहों के निशानी अगूठें कराये है परन्तु उनकी वल्दियत व पता कुछ भी नहीं लिखा है तथा हलफिया रिपोर्ट भी नहीं की है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने भी इन कमियों को नहीं देखा है ना ही तामिल कुनिंदा का परीक्षण किया है तथा प्रार्थी पर नोटिस की तामिल को समुचित मानकर प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश व एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। इस प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व वाद में प्रतिवादी पर नोटिस की तामिल समुचित नहीं है अतः प्रतिवादी के विरूद्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश व एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री अवैधानिक है तथा निरस्त किय जाने योग्य है। अप्रार्थी की यह आपति की प्रार्थी का आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र देरी से था मानने योग्य नहीं है क्योकिं प्रतिवादी पर नोटिस तामिल कराये बिना पारित आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत प्रा0पत्र व अपील के लिये मियाद की कोई बाधा नहीं है।

पेरा सं0 11 में अंकित किया है '' उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचतें है कि प्रार्थी को विधिवत् नोटिस तामिल कराये बिना जो एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री पारित की गई है वह प्राकृति न्याय के सिंद्वात के विरूद्व है तथा अवैधानिक है। जो विभाजन के प्रस्ताव बनाये गये है वह भी प्रार्थी की अनुपस्थिति में बनाये गये है जिनके आधार पर विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी करना विधिसम्मत नहीं था। अतः जो विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी की गई है वह भी निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण में उक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना प्रार्थी की अपील खारिज की है जो निर्णय भी अवैधानिक है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।''

हस्तगत प्रकरण में सम्मनं की पुश्त पर की गई रिपोर्ट के उपर जिन दो व्यक्तियों के नाम है, उनका नाम पता पूरा नहीं है, न ही उनके हस्ताक्षर है, जिससे उनका परीक्षण किया जा पाता। न्यायालय द्वारा तामिल कुनिंदा की भी परीक्षा नहीं की गई, इसलिए सम्मन की तामिल को प्रोपर तामिल नहीं माना जा सकता है। अब प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित आकर अपना पक्ष रखना चाहते है तो न्यायालय को प्राकृतिक न्याय का सिंद्वात को महत्व देते हुए प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। पक्षकारान की सुनवाई के पश्चात् गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ ने अपने निर्णय न्यायिक दृष्टांत S.B. civil Misc. Appeal No. 338 of 2001 decided on 21 august 2006 page 357, 2007(1) RLW Vege pro foods & feeds Ltd v/s M/S J. Shreelal & sons में अभिनिर्धारित किया है

"Every person has a right to be heard. Such a right not anly flows out of the principal of natural justice, but also eminent from article 21 of the constitution of india. The right of hearing is an integral part of the right to life and right to

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

personal liberly. Such a right can only be deprived by a procedure eastablished by the low. Since an onerous responsibility has been imposed on the court, the court should not be dismiis an application under 9 rule 13 of the code, in a mechanical manner. The court should be sensitive to the right of the defendant, to his social and educational background to be able to understand the intricacies of the legal procedure, to his conduct after passing of the decree"

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामिल का निर्धारण करने हेतु प्रकिया की पालना नहीं हुई है व हस्तगत प्रार्थना पत्र/वाद में प्रार्थीगण के विरूद्व हुई एकपक्षीय डिक्री दिनांक 15.09.11 से प्रार्थीगण प्रभावित हुए है, अब प्रार्थीगण न्यायालय में हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते है, जिसके लिए प्रार्थीगण को मूल वाद में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित व न्यायहित में है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी साबित होने पर 2000 रू0 की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 15.09.11 तथा निर्णय दिनांक 15.06.11 को अपास्त किया जाता है व मूल वाद वास्तें उभय पक्षकारान सुनवाई हेतु दर्ज किया जाता है। उभय पक्षकारान दिनांक 21.02.2020 को न्यायालय सहायक जिलाधीश सांभरलेक में असालतन/वकालतन उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
सांभर लेक

सहायक कलेक्टर
सांभर लेक

Scanned by CamScanner